

Order sheet [Contd]

case No B.A. 431/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15-12-17	<p>आवेदक/अभियुक्त पप्पन उर्फ दलवीर द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>थाना मौ के अपराध क्रमांक 195/17 अंतर्गत धारा-452, 294, 506 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक की ओर से सूची सहित दस्तावेज इसी अपराध में आवेदक के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-437 दं0प्र0सं0 पर किए गए आदेश दिनांक 13.12.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसे अभिलेख पर लिया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक दलवीर सिंह के पुत्र रिकू यादव द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केस डायरी से स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त दलवीर सिंह के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 भां0दं0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध पुलिस थाना मौ ने एक झूठा पंजीबद्ध कर लिया है, जिससे आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक को पुलिस थाना मौ द्वारा दिनांक 11.12.17 को निरोध में लिया गया है। आवेदक यदि अधिक दिनों तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.08.17 को रात्रि 09:30 बजे के लगभग फरियादी संजीव यादव अपने ताऊ प्रताप सिंह यादव के साथ अपने घर लुहारपुरा वार्ड क्रमांक 01 मौ में था कि तभी पुरानी रंजिश को लेकर पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव फरियादी के घर के अंदर घुस आया और फरियादी व उसके ताऊ को मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगा, मना करने पर कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा तभी मौके पर मुकेश सिंह यादव और जगदीश सिंह यादव आ गए जिन्हें देखकर वह भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.08.17 को थाना मौ में की गई।</p> <p>केस डायरी के साथ आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध छः</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आपराधिक प्रकरण मारपीट आदि के दर्ज है। परंतु इस मामले में कट्टे को दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप होने के बावजूद भी आवेदक दलवीर से किसी कट्टे की कोई जप्ती होना प्रकट नहीं है। आवेदक दिनांक 11.12.17 से अर्थात् लगभग पांच दिवस से निरोध में है। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में लगने वाले समय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः : मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध की प्रकृति और स्वरूप आवेदक के निरोध की अवधि को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त पप्पन उर्फ दलवीर की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 20,000/-रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा। 3. फरार नहीं होगा। 4. विचारण में सहयोग करेगा। 5. विचारण के दौरान आवेदक समान अपराध कारित नहीं करेगा। <p>यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे। कैसडायरी आदेश की प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	